3522

SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RAEBARELI ROAD, LUCKNOW- 226014

OFFICE OF THE DIRECTOR

Phones: 0522-2668112, 0522-2494059, 0522-2494001, 0522-2494003, 0522-2494280
FAX: 91-522-2668129

PGI/DIR/DC/1343/2026

Date: 03.11.2026
Office order/Dir. camp
RSD no. 1485/13

कार्यालय आदेश

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–3402/32–जी0एस0/2026, दिनांक 28-05-2026, द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में अवांछनीय, अनैतिक, विधि विरूद्व, अवैध या बलपूर्वक धर्मांतरण के प्रकरणों की गतिविधियों को रोकने एवं परिसर में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चत करने के निमित्त प्रभावी एवं निवारक कदम उठाये जाने की अपेक्षा के कम में, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में, संस्थान स्तर पर निम्नवत प्रकोष्ठ (Anti-Radicalisation Cell-ARC) गठित किये जाने के आदेश एतद् द्वारा निर्गत किये जाते हैः–

1	संकायध्यक्ष	**अध्यक्ष**
2	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
3	प्रो0 राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
4	संयुक्त निदेशक, प्रशासन	सदस्य
5	प्रधानाचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग	सदस्य
6	नोडल अधिकारी, कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी	सदस्य
7	नोडल अधिकारी, सुरक्षा	सदस्य
8	कार्यपालक कुलसचिव	**सदस्य सचिव**

उक्त प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य संस्थान परिसर में अध्ययनरत विद्यार्थियों, रेजीडेन्ट चिकित्सकों, संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य जागरूकता सुनिश्चित करना, धर्मांतरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा संदिग्ध गतिविधि का संज्ञान लेना तथा प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार निष्पक्ष एवं समयबद्ध प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। उपर्युक्त गठित प्रकोष्ठ को निम्नवत कार्यवाही सम्पादित किये जाने के आदेश भी एतद् द्वारा निर्गत किये जाते हैः–

1. राज्यपाल सचिवालय के उपर्युक्त वर्णित पत्र दिनांक 28-05-2026 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।
2. संस्थान परिसर में धर्मांतरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत, सूचना अथवा संदिग्ध गतिविधि का संज्ञान लेते हुए आवश्यक निवारक एवं प्रशासनिक कदम उठाना तथा संस्थान में सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना।
3. संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों, रेजीडेन्ट चिकित्सकों, संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में धर्मांतरण से जुड़ी प्राप्त शिकायतों एवं विश्वसनीय सूचनाओं की जांच कराना तथा प्रकरण की प्रकृति के अनुसार प्रचलित नियमों एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति करना।
4. धर्मांतरण से संबंधित किसी भी शिकायत अथवा प्रकरण में निष्पक्षता, गोपनीयता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना तथा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध बिना पर्याप्त आधार के कार्रवाई न किया जाना सुनिश्चित करना।
5. प्रकोष्ठ द्वारा की गई कार्यवाही एवं संज्ञान में आए प्रकरणों के संबंध में समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना तथा आवश्यकतानुसार विस्तृत आख्या प्रस्तुत करना।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. संकायध्यक्ष एवं Anti-Radicalisation Cell-ARC के अध्यक्ष
2. अपर निदेशक
3. उपरोक्त प्रकोष्ठ के समस्त सदस्य
4. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त संकाय सदस्य
5. समस्त रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं स्टूडेन्ट्स
6. समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण
7. प्रभारी सर्वर को इस आशय से प्रेषित कि इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. कार्यालय आदेश पत्रावली

(राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक